छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 338 /वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 14/06/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–2019 का बजट कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2018–2019 का बजट कार्यक्रम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने विभाग के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(आर. शंगीता)
संचालक बजट

पृष्ठांकन क्रमांक 339/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 14/06/2017

प्रतिलिपिः–

1. समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी, छत्तीसगढ़
2. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय
3. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
4. संचालक, बजट/विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
5. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय
6. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
8. कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग को वित्त विभाग की बेवसाईट में अपलोड करने हेतु

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

2018–2019 का बजट कार्यक्रम

1.	4 अगस्त, 2017	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट एवं राजस्व प्राप्तियों की पृथक–पृथक पुस्तक फार्मों का प्रदाय
2.	4 अगस्त, 2017	महालेखाकार से आय–व्यय के वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रपत्रों का प्रदाय
3.	14 अगस्त, 2017	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में विभाग (विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों) में उपलब्ध वाहनों, दूरभाष एवं कम्प्यूटरों की सूची तथा स्वीकृत पद संरचना एवं परिसंपत्तियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में वित्त विभाग को उपलब्ध कराना
4.	26 अगस्त, 2017	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट अनुमान 2018–2019 के बजट प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त करने की अंतिम तिथि (निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त कुल राजस्व प्राप्ति के प्रस्ताव का विवरण पृथक से जैसा आपके विभाग में संधारित है वह भी भेजें)
6.	25 सितंबर, 2017 से 07 अक्टूबर, 2017 तक	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव) चर्चा
7.	09 अक्टूबर, 2017	बजट प्रस्ताव वर्ष 2018–2019 के वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
8.	16 अक्टूबर, 2017 से 10 नवंबर 2018 तक	बजट प्रस्ताव वर्ष 2018–2019 पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव) चर्चा
9.	11 दिसंबर, 2017 से 23 दिसम्बर, 2017 तक	प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अन्य विभाग के सचिवों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा (नवीन मद के प्रस्ताव सहित)
10.	26 दिसम्बर 2017	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री, परिणामी, जेंडर तथा आफ बजट 2018–2019 प्राप्त होने की अंतिम तिथि
11.	08 जनवरी 2018 से 12 जनवरी 2018 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अन्य विभागों के मान. मंत्रीगण से बजट प्रस्तावों पर चर्चा
12.	08 जनवरी, 2018	दिनांक 31.12.2017 तक बकाया गारंटियों की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त हाने की अंतिम तिथि
13.	31 मार्च, 2018	प्रशासकीय विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन/समर्पण के आदेश जारी करने हेतु अंतिम तिथि

14.06.17

नोट :–

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक जी–25/9/90/नि–4/चार दिनांक 22.05.90 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जावें।

विशेष सूचना :–

(1) वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 345/2007/ब–1/चार दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के अनुसार नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित (Scrutinized) के रूप में शामिल करायें। वर्ष 2018–2019 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही संबंधित पुनर्विनियोजन प्रस्ताव ऊपर अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा, अतः विभाग कृपया ऊपर अंकित समय सारणी का कड़ाई से पालन करे।

(2) बिंदु कमांक 1 में उल्लेखित नवीन व्यय के प्रस्तावों को वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 825/एल 6–6/2010/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 13 मई, 2011 में उल्लेखित नई सेवा/सेवा का नया साधन के संशोधित सीमाओं के अनुसार उपलब्ध कराया जावे।

(3) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्याओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समेकित बजट प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संबंधित विभागों से चर्चा कर तैयार किया जाकर वित्त विभाग को उपरोक्तानुसार समय सीमा में प्रस्तुत किया जावेगा।

14.06.17